

# कार्यालय नगर पालिका परिषद गाजीपुर

पत्रांक 702 / 23-अति-अल्पकालीन निविदा सूचना/न0पा0

दिनांक 24-12-16

निविदा सूचना

(अति अल्पकालीन)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अवस्थापना निधि/13 वॉ विल्ट एवं राज्य विल्ट आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से सफाई व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित उपकरणों की निविदा दिनांक 23.12.2016 को समय 12:30 बजे से अपराहन 3:00 बजे तक अधिकृत फर्म/कम्पनी/निर्माता से सील बन्द निविदा नगर पालिका परिषद गाजीपुर में आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन दिनांक 27.12.2016 को समय 4:00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र का विक्रय दिनांक 23.12.2016 को 10:00 बजे प्रातः से सायं 12:00 बजे तक नोट क्रमांक 2 पर स्थित स्थानों पर निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त की जा सकती है। जमानत धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 राष्ट्रीयकृत बैंक का जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गाजीपुर के नाम से बंधक रहेगा निविदा के साथ संलग्नक करना होगा। उक्त निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदा तथा अपूर्ण एवं शर्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा प्राप्त निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गाजीपुर में निहित होगा।

क्र0सं0	कार्य का नाम	मात्रा	जमानत धनराशि	निविदा शुल्क की धनराशि+4 प्रतिशत वेट सहित(रु0 में)
1	डी0पी0 कन्टेनर 4.5 घनमीटर क्षमता का भार 550 कें0जी0	10 अदद	61000.00	2080
2	हाथ टेला (16 गेज चादर में)	100 अदद	53000.00	2080
3	टाटा 709 हाईड्रोलिक टिपर (13वॉ विल्ट)	01 अदद	160,000.00	2080

## नियम व शर्तें

1. शर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
2. नियमानुसार समस्त करो की कटौती निविदादाता के बिल से किया जायेगा।
3. अधिकृत फर्म/कम्पनी/निर्माता ही निविदा में प्रतिभाग करेंगे।
4. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/नगद जमानत धनराशि जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गाजीपुर के नाम बंधक होगा को निविदा प्रपत्र के साथ मूल रूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. उपकरण की वैधता की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी। नकली/खराब उपकरण की आपूर्ति के दशा में जमानत राशि को जब्त करते हुए उपकरण/सामान को भी पालिका द्वारा जब्त कर लिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी।
7. निविदा स्वीकृत होने के उपरांत 500.00 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।
8. आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने व्यय भार से जलकल परिसर आमघाट में पहुँचाना अनिवार्य होगा।
9. निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, गाजीपुर में निहित होगा।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मा0 न्यायालय, गाजीपुर होगा।
11. यह निविदा जिला मुख्यालय के वेबसाइट WWW.ghazipur.nic.in पर भी देखी व पढी जा सकती है।
12. शासनादेश सं0 609/नौ-9-2007-249जा/06 दिनांक 26.02.2007 के क्रम में 05 लाख से ऊपर की निविदा की बिक्री एवं टेण्डर बाक्स में निविदा डालने की कार्यवाही 04 स्थानों-कार्यालय नगर

  


पालिका परिषद गाजीपुर, कार्यालय उप जिलाधिकारी सदर गाजीपुर, कार्यालय प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय एवं कार्यालय जिलाधिकारी गाजीपुर में की जायेगी एवं 05 लाख से नीचे की निविदा की बिक्री एवं निविदा डालने एवं खोलने का कार्य नगर पालिका परिषद गाजीपुर में किया जायेगा।

(जितेन्द्र कुमार आनंद)  
अधिशाली अधिकारी  
नगर पालिका परिषद,  
गाजीपुर।

(विनोद अग्रवाल)  
अध्यक्ष,  
नगर पालिका परिषद,  
गाजीपुर।

प्रतिलिपि:-

3. सम्मानित सम्वाददाता.....को इस आशय से प्रेषित कि अपने सम्मानित समाचार पत्र के अगले संस्करण में प्रकाशित करते हुए विल जिलासूचना अधिकारी से प्रमाणित करते हुए बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
4. जिला विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0), गाजीपुर को इस अनुरोध के साथ कि जिला मुख्यालय की साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(जितेन्द्र कुमार आनंद)  
अधिशाली अधिकारी  
नगर पालिका परिषद,  
गाजीपुर।

(विनोद अग्रवाल)  
अध्यक्ष,  
नगर पालिका परिषद,  
गाजीपुर।